पत्रक

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी– सुशील कुमार सैनी आर.ए.एस. नवलगढ़

सतपाल सिंह पुत्र शिवनाथ सिंह जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।	–बनाम–	शिवनाथ सिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी चारण की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 190/2024 GCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
17.10.24	आज यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील **श्री श्रवण सिंह** द्वारा विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन कर दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 154, 238, 239, 406, 75 रकबा क्रमशः 0.1200, 2.3200, 0.0600, 2.2300, 0.1700 है0 भूमि आवेदक व अनावेदकगण की सहखातेदारी की भूमि है जिसका आज तक विभाजन नही हुआ है। उक्त भूमि के विभाजन के बगैर अनावेदकगण उक्त भूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अतः अनावेदकगण को तादौराने दावा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादित भूमि राजस्व ग्राम चारण की ढाणी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 154, 238, 239, 406, 75 रकबा क्रमशः 0.1200, 2.3200, 0.0600, 2.2300, 0.1700 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। **उक्त आदेश प्रचलित, कटाणशुदा व रिकोर्डेड रास्तों पर तथा किसी दीगर न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नही होगा।** किसी भी अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के जबाब प्रस्तुत करने के बाद वकील प्रार्थी बहस हेतु बाध्य होंगे। आवेदक सी0पी0सी0 रूल 39(3) की पालना सुनिश्चित करें। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर इस आदेश के प्राप्त होने के 24 घण्टे मे जरिये रजि0 डाक से जारी हो। इस आश्य का सपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड डाक की रसीद व उनकी डिलीवरी रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/11/24 को पेश हो। सुशील कुमार सैनी(R.A.S.) ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ।	
21/11/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय का अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त [illegible] दिनांक 24/12/24 को पेश हो	
24/12/24	पत्रावली आज [illegible] होने पर आज दिनांक [illegible] गई। वकील आवेदक [illegible] को Not Press [illegible] CONT...	[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

Cont.. अतः पत्रावली को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से अमल हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested